



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)



Impact Factor: 8.206

Volume 8, Issue 5, May 2025



केंद्र-राज्य संबंधों के विशेष संदर्भ में भारतीय संघीय व्यवस्था का स्वरूप

Dr. Rajeev Chouhan

Sanvidha Lecturer in Political Science, Govt. PG College Barmer, Rajasthan, India

शोध सारांश: भारतीय संघीय व्यवस्था विश्व की सबसे विशिष्ट संघीय संरचनाओं में से एक है, जहाँ संविधान ने केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों एवं दायित्वों का स्पष्ट विभाजन किया है। 1950 में लागू संविधान ने भारत को 'संघीय शासन प्रणाली' का रूप दिया, किन्तु इसमें 'एकात्मक झुकाव' भी निहित है। इसका कारण यह है कि भारत जैसे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहु-धार्मिक देश में पूर्णतः संघीय व्यवस्था अस्थिरता ला सकती थी। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने एक 'संघात्मक ढांचा' तैयार किया जिसमें केन्द्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ दी गईं, ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का वितरण किया गया है। आपातकालीन प्रावधानों, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय संसाधनों पर केन्द्र की प्रधानता संघीय ढांचे में एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है। न्यायपालिका ने भी समय-समय पर अपने निर्णयों में संघवाद को "भारत की मूलभूत संरचना" घोषित कर इसकी रक्षा की है। वस्तुतः भारतीय संघीय व्यवस्था में केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक तथा समन्वयात्मक संबंधों पर बल दिया गया है। इसे 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) और हाल के वर्षों में 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Competitive Federalism) के रूप में विकसित होते देखा जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संघीय ढांचा न तो पूर्णतः संघीय है और न ही पूर्णतः एकात्मक, बल्कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित एक मिश्रित और व्यावहारिक संरचना है।

संकेताक्षर: सहकारी संघ, नियोजन प्रक्रिया, अन्तर्राज्यीय परिषद्, विवादित मुद्दे।

I. परिचय

भारत में संघीय शासन के कारण केन्द्र तथा राज्यों के क्षेत्र एवं सीमाओं का निर्धारण किया गया है। संविधान की अनुसूची-7 में सूची व्यवस्था के माध्यम से केन्द्र एवं राज्यों के कार्यों, अधिकारों एवं दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख कर केन्द्र एवं राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता देने का प्रयास किया गया है।

देश की संघीय व्यवस्था में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के मध्य विद्यमान तनावों को दूर करने के लिए समय-समय पर आयोगों, परिषदों एवं परामर्शी संगठनों का गठन किया गया है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में मधुरता लाने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार पूर्वाग्रह से मुक्त होकर संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

इसके बावजूद भी यदि आवश्यक हो तो भारत में 'यूनियन ऑफ स्टेट्स' की व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में केन्द्र को आवश्यक निर्देश देने तथा राज्यों को कुछ कार्य विशेष संपादित करने तथा अनेक बार केन्द्र संघ सूची में सम्मिलित विषय/विषयों पर राज्य सरकार/सरकारों को कतिपय कार्य संपादित करने का दायित्व सौंप सकता है।

भारतीय संविधान का बाह्य रूप संघात्मक है और आन्तरिक रूप एकात्मक। जैसा कि स्पष्ट है संविधान में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। भारतीय संविधान में संघात्मकता के लक्षण पाए जाते हैं वहीं कुछ लक्षण एकात्मकता के भी पाए जाते हैं। हमारे संविधान निर्माता भारत में संघात्मक शासन स्थापित करना चाहते थे, लेकिन संविधान में 'संघ' शब्द का प्रयोग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। वरन् संघ के स्थान पर 'राज्यों का संघ' शब्द का प्रयोग किया गया है।

भारतीय संविधान केन्द्र-राज्यों के मध्य सहयोग, पारस्परिक सम्बन्ध और सौहार्द स्थापित करने का प्रयत्न करता है। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो सामन्जस्य के तौर तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करने वाली संघीय व्यवस्था को सहयोगी 'संघवाद' की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में संघीय सरकार को सशक्त बनाया गया है, परन्तु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्रों में कमजोर नहीं हैं।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता इस शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, देश की विभिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए संघात्मक प्रणाली को अंगीकार किया गया है। देश में यहां की परिस्थितियों के अनुरूप 'भारत राज्यों का एक संघ' होगा को अपनाया गया है। अमेरिका में सामान्य सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारें दोनों सीधे लोगों से जुड़ी होती हैं, प्रत्येक नागरिक दोनों सरकारों के अधीन होते हैं। भारतीय संविधान के राष्ट्रीय संविधान में राष्ट्रीय नागरिकता को अपनाया गया है। संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के समक्ष मुख्य प्रश्न था कि उसका स्वरूप कैसा होगा? इस प्रश्न पर उनके द्वारा मध्य मार्ग का अनुसरण किया गया। भारतीय संविधान का बाह्य रूप संघात्मक है और आन्तरिक रूप एकात्मक। जैसा कि स्पष्ट है संविधान में भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of states) कहा गया है। भारतीय संविधान में संघात्मकता के लक्षण पाए जाते हैं वहीं कुछ लक्षण एकात्मकता के भी पाए जाते हैं। हमारे संविधान निर्माता भारत में संघात्मक शासन स्थापित करना चाहते थे, लेकिन संविधान में 'संघ' शब्द का प्रयोग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। वरन् संघ के स्थान पर 'राज्यों का संघ' शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति के बावजूद भी प्रशासनिक स्वरूप वाले भारतीय संघ के राज्यों के हाथों में देश के शासन का बहुत बड़ा भाग है। यद्यपि आर्थिक मामलों में राज्यों को केन्द्र पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में मधुरता लाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों के मध्य विश्वास का एक सुदृढ सम्पर्क सूत्र स्थापित हो। उपर्युक्त इन सब बातों के बावजूद भी केन्द्र तथा राज्यों के मध्य कुछ विवादास्पद विषय भी पाए जाते हैं।

II. केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के मध्य तनाव की स्थिति

भारतीय संघ व्यवस्था की केन्द्र-राज्य सहयोग प्रारम्भ में मुख्य विशेषता थी, लेकिन समय गुजरने के साथ-साथ भारतीय संघीय प्रणाली के मजबूत होने के साथ केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में अनेक विवाद के क्षेत्र उभरे हैं। सन् 1967 से पूर्व 'पण्डित नेहरू युग' में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध मधुर रहे हैं।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

इस कालावधि में देश के राजनीतिक क्षितिज पर कांग्रेस दल का एकाधिकार था, फलतः केन्द्र और राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। इस समय अनेक ऐसे विषय हैं, जिनमें विवादास्पद स्थिति विद्यमान है।

विवाद के कतिपय विषय इस प्रकार हैं -

राज्यपाल का पद- राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा संघीय सरकार की इसमें मुख्य भूमिका होती है। राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में टकराव की स्थिति पायी जाती है। चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति के तरीके आदि को लेकर केन्द्र तथा राज्यों में मतभेद उत्पन्न हुए हैं।

राज्यपाल पद सम्बन्धी विवाद में एक और कड़ी जोड़ने का कार्य 26 मई 2014 को गठित नवीन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। सरकार द्वारा कई राज्यों के राज्यपालों को पद से बेवजह हटाया गया और उनके स्थान पर भाजपा के सदस्यों व उनकी विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों को पुरस्कार स्वरूप इस पद से नवाजा गया। सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकर नारायण का मिजोरम किया गया, लेकिन उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

सन् 2012 में संप्रग सरकार ने शंकर नारायण को द्वितीय कार्यकाल के रूप में नियुक्त किया था तथा सन् 2017 तक उनका कार्यकाल निर्धारित था। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनिवाल का स्थानान्तरण मिजोरम किया गया तथा कुछ समय पश्चात पद के दुरुपयोग के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस दल के पूर्व नेता वीरेन्द्र कटारिया को पुडुचेरी के उप राज्यपाल पद से इटावा गया।

बी. एल. जोशी (उत्तर प्रदेश) एम.के. नारायणन (पश्चिम बंगाल) शेखरदत्त (छत्तीसगढ़) बी.वी. वांचू (गोवा) अश्विनी कुमार (नगालैण्ड) एवं बी.वी. पुरुषोत्तम (मिजोरम) के राज्यपालों को भी त्यागपत्र देने के लिए विवश किया गया। उत्तराखण्ड के राज्यपाल अजीज कुरेशी के द्वारा राज्यपाल पद से त्यागपत्र देने के दबाव के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपने प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा कि संविधान के अन्तर्गत राज्य का राज्यपाल केन्द्र सरकार का सेवक नहीं होता कि उसको अपनी इच्छानुसार जब चाहे पद से बर्खास्त कर दिया जाए। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और हटाने का अधिकार भी उन्हें ही है, किसी अन्य के पास राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं है। राज्यपाल के पद से बर्खास्तगी के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने सन् 2010 में एक व्यवस्था दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने बी. पी. सिंहल के मामले में स्पष्ट किया था कि, उसी राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति का विश्वास खो चुका है। लेकिन इसके लिए ठोस कारण का होना आवश्यक है। राज्यपाल को हटाने समय कारण स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है, लेकिन राज्यपाल को इसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हो गया है तथा सम्बन्धित राज्यपाल केन्द्र की विचारधारा से भिन्न है।

संविधान का अनुच्छेद 356 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद-356 प्रारम्भ से ही विवादास्पद रहा है, इसके कारण केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध सहज नहीं रहे हैं। हड़बड़ी में एक मात्र समाधान के रूप में अनुच्छेद- 356 का प्रयोग करने वाला केन्द्र ही



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

अनुच्छेद- 355 के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं करता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 355 में भी व्यापक अधिकार उपलब्ध हैं। ऐसे अधिकार, जिनमें अनुच्छेद- 356 के प्रयोग की स्थिति ही उत्पन्न नहीं हो।

सरकारिया आयोग ने इस विषय पर विचार करते हुए पाया कि मंत्रिमंडल को विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद 13 मामलों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, ऐसे 15 मामलों में जिनमें मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, अन्य दावेदारों को वैकल्पिक सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया था और न ही उन्हें विधानसभा में अपने बहुमत समर्थन का परीक्षण देने का अवसर प्रदान किया गया। सरकारिया आयोग ने केवल 26 मामलों में ही राष्ट्रपति शासन लागू करने को अपरिहार्य माना है।

विभिन्न योजनाओं एवं वित्त सम्बन्धी विवाद- भारत में नियोजन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्यों को सहभागिता देने के उद्देश्य से सन् 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) की स्थापना मंत्रिमण्डल के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। जिससे केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय समन्वय को स्थापित किया जा सके, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय एवं योजना सम्बन्धी प्रश्नों को लेकर तनाव उपस्थित हैं।

सन् 1967 के चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय एवं योजनाओं से सम्बन्धित विषयों को लेकर विवाद उभरे हैं। वित्त आयोग एवं योजना आयोग द्वारा वित्तीय संसाधनों की वितरण व्यवस्था से अधिकांश राज्य असन्तोष प्रकट कर चुके हैं। सन् 1969 में पहली बार कुछ राज्यों में चतुर्थ योजना के प्रारूप को अनौपचारिक रूप से अस्वीकृति प्रदान की गई थी।

राज्यों की मांग रही है कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तथा जो सहायता राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है वह बिना शर्त के होनी चाहिए। मई 1979 में मुख्यमंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में केन्द्र द्वारा वित्तीय संसाधनों के विभाजन के प्रश्न पर काफी विवाद उभर कर सामने आया था। उस समय विवाद ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने का निश्चय प्रकट किया।

III. केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देश

केन्द्र सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाते हैं, इस कारण भी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में अनेक बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। यहां पर यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या राज्य सरकारों के लिए केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन बाध्यकारी है? यदि राज्य सरकारें केन्द्र की आदेश पालना से इनकार करे तो क्या व्यवस्था की जाएगी? जब राज्य की सीमा के अन्तर्गत राज्य सरकारें केन्द्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा न करे तो केन्द्र के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जब राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की तैनाती करे और राज्य सरकार द्वारा उसका विरोध किया जाए। इन सभी उपरोक्त प्रश्नों पर केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में समय-समय पर विवाद प्रकट होते रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के द्वारा जब राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को कुछ राज्यों में तैनात किया तो केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों ने केन्द्र के इस कदम पर विरोध प्रदर्शित किया था। इससे केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो गई थी।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

18 सितम्बर 1968 को केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को एक अध्यादेश द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। लेकिन केरल की साम्यवादी सरकार ने केन्द्र के अध्यादेश को संविधान विरोधी और श्रमिक विरोधी कह कर उसे मानने से इनकार कर दिया। केन्द्र की तरफ से जब राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात किया गया तो केन्द्र तथा राज्य सरकार में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री नम्बूदरीपाद ने आरोप लगाया कि राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का आना राज्य के आन्तरिक मामलों हस्तक्षेप है। केन्द्र सरकार इससे बचना चाहिए।

सीबीआई के उपयोग पर तनावपूर्ण स्थिति- राज्य सरकारों के द्वारा यह आरोप लगाए जाते रहें हैं कि केन्द्र सरकार अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु सीबीआई का दुरुपयोग करती है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इसकी कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए इसे 'पिंजरे में कैद तोते' के रूप में परिभाषित किया गया।

जब तृणमूल कांग्रेस के मंत्री मदन मित्रा को शारदा चिट फण्ड घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो पार्टी के सांसदों ने 15 दिसम्बर 2014 को लोकसभा में इसका तीव्र विरोध किया और जोरदार हंगामा किया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा का मंतव्य ठीक नहीं है और उसकी सरकार निजी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रही है। पार्टी के सौगत राय ने कहा कि सीबीआई को प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि लोकपाल के अधीन होना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक दल जो सत्ता से बाहर होता है, उसके द्वारा इस तरह की बातें की जाती है, लेकिन जब उसी दल को सत्ता प्राप्त हो जाती है, तो वह इस संस्था पर पूर्णरूपेण नियंत्रण रखने की मानसिकता का परित्याग नहीं कर पाता है। सीबीआई जैसी संस्था पर दबाव बनाने की मानसिकता का परित्याग करना चाहिए।

नदियों के जल वितरण सम्बन्धी विवाद- नदियों के जल वितरण को लेकर केन्द्र-राज्य तथा परस्पर राज्यों में विवाद उग्र रूप से उभर कर सामने आए हैं। जैसे कावेरी नदी जल विवाद अनेक वर्षों से चला आ रहा है। इस नदी के जल विभाजन को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी के मध्य विवाद अवस्थित है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक के किसानों द्वारा अपने-अपने हिस्से का जल प्राप्त करने हेतु अनेक आन्दोलन किए गए हैं तथा इस कारण कई किसान अपनी जान भी गँवा चुके हैं।

भारतीय संघ व्यवस्था में कावेरी नदी विवाद ने राजनीतिक माहौल को काफी उद्बेलित किया है। नदी जल विवाद भविष्य में अनेक समस्याओं की जड़ बन सकते हैं, इसलिए अन्तर्राज्यीय नदी जल के प्रबन्धन को प्राथमिक कार्यों की सूची में रखा जाना चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि नदी की धारा पर सबका समान अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मित्रा, न्यायाधीश अमिताव रॉय और न्यायाधीश एएम खानविलकर की पीठ ने 16 फरवरी 2018 के अपने निर्णय में कहा कि नदियों के जल पर कोई राज्य अपने विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

तमिलनाडु और केरल के मध्य 135 वर्षों से चले आ रहे कावेरी नदी जल के विभाजन के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के निर्णय में परिवर्तन करते हुए अंतिम निर्णय दिया। यह निर्णय आगामी 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। न्यायालय के द्वारा तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती की गई तथा कर्नाटक को मिलने वाले पानी की मात्रा में 14.75 टीएमसी फीट की वृद्धि की गई। इस निर्णय के



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

अनुसार तमिलनाडु को कावेरी का 177.25 समेत 404.25 टीएमसी फीट पानी उपलब्ध होगा। सन् 2007 में 192 टीएमसी फीट पानी का आदेश था।

भारतीय संघ व्यवस्था में आए दिन होने वाले नदी जल विवाद देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। देश के नीति-निर्धारकों एवं समाज को पानी का मूल्य समझना चाहिए।

नौकरशाही के सम्बन्ध में तनाव - नौकरशाही को लेकर भी केन्द्र तथा राज्यों के मध्य प्रारम्भ से ही विवाद रहे हैं। भारत में संघीय सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है। संविधान में संघ तथा राज्यों के लिए अलग-अलग सेवाओं का प्रावधान किया गया है, लेकिन हमने ब्रिटिश शासन से विरासत में एकरूपीय उच्च प्रशासनिक सेवाओं की पद्धति भी प्राप्त की है।

इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी केन्द्र तथा राज्य दोनों स्थानों पर कार्य करते हैं। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा केन्द्र और राज्यों में समान रूप से कार्य करेगी। सन् 1967 के आम चुनावों के पश्चात नौकरशाही के विषय में तनाव उभर कर सामने आए हैं। राज्यों में पुलिस प्रशासन को केन्द्रवादी संघवाद के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है। देश के प्रख्यात राजनीतिक विद्वान प्रोफेसर बी. एम. शर्मा इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि, सन् 1967 के वर्ष को एक विभाजक वर्ष का नाम दे सकते हैं, जब सात राज्यों में कांग्रेस को प्रथम बार पराजय का मुंह देखना पड़ा।

इस समय न केवल केन्द्र और राज्यों में सीधी टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, बल्कि कई मुख्यमंत्री राज्यों को अपने कामकाज में आन्तरिक स्वायत्तता देने की भी मांग उठाने लगे तथा उनके द्वारा राज्यों में केन्द्रीय पुलिस बल का भी विरोध किया जाने लगा। चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात यह समस्या उभर कर सामने आई कि क्या नौकरशाही गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों की नीतियों का पालन उसी प्रकार कर पाएगी, जिस प्रकार से वह अब तक कांग्रेस सरकार की नीतियों का पालन करती थी। केन्द्र तथा राज्यों के मध्य अवस्थित मतभेदों को दूर करने के उद्देश्य से कुछ संवैधानिक उपबन्ध भी किए गए हैं, जिनका विवेचन अधोलिखित है-

भारतीय संविधान के ग्यारहवें भाग के द्वितीय अध्याय में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक सम्बन्धों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद-73 के अनुसार, केन्द्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है, जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार अनुच्छेद-162 के अनुसार, राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित है, जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है।

समवर्ती सूची के विषयों के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतया राज्यों में निहित हैं, लेकिन इन राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों के द्वारा सीमित रखा गया है, जो संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त हैं।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

प्रशासनिक सम्बन्धों के संदर्भ में केन्द्र को राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त राज्यों को स्वायत्तता एवं उत्तरदायित्वों का व्यापक क्षेत्र मिला हुआ है। इसके बावजूद भी कतिपय राजनीतिक पण्डितों का मानना है कि राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।

संघीय सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश देना- केन्द्र का अधिक शक्तिशाली होना भारतीय संघ व्यवस्था के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता को मद्देनजर रखते हुए संविधान निर्माताओं के द्वारा केन्द्र को अधिक सशक्त बनाया गया है तथा उसे महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे वह राज्यों पर उचित नियंत्रण रख सके। इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ प्रणाली निर्बाध रूप से कार्य कर सके। केन्द्र द्वारा नियंत्रण के उपाय यहां इंगित हैं :-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-256 के अनुसार केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को निर्देश दे सके कि उन्हें अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के मार्गों व पुलों आदि का निर्माण साधारणतया केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जाता है, लेकिन केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार के मार्गों के निर्माण व उनके उचित रखरखाव के लिए राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे सके। इसी प्रकार रेल मार्गों एवं रेल गाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद-257 के तहत राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए, जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों की पालना सुनिश्चित की जा सके। संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए हर संभव उपायों का प्रबन्ध करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। राज्यों का भी यह दायित्व है। कि वे केन्द्रीय प्रशासन में कोई व्यवधान उत्पन्न न करे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 263 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह एक अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना करे। यदि राष्ट्रपति को किसी समय यह प्रतीत होता है कि जन हितार्थ अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए, तो

उनके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। जिसके महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार होंगे:-

1. राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना तथा उनके सम्बन्ध में उचित सलाह एवं सुझाव देना ।
 2. राज्यों के मध्य अथवा संघ तथा राज्यों के मध्य सामान्य हितों से सम्बन्धित विषयों की पड़ताल करना तथा उन पर आवश्यक विचार-विमर्श करना।
 3. इन विषयों और विशेषकर इनसे सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यों के श्रेष्ठतम समन्वय के सम्बन्ध में सिफारिशें करना। राष्ट्रपति इस परिषद् के संगठन एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित तथा इसके कर्तव्यों को परिभाषित कर सकता है।
- ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघ को 'सहकारी संघ' के नाम से उद्घोषित किया है, अतः केन्द्र और राज्यों के मध्य समन्वयात्मक एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध बने रहने परमावश्यक है। देश की संघीय व्यवस्था में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के मध्य विद्यमान तनावों को दूर करने के लिए समय-समय पर आयोगों, परिषदों एवं परामर्शी संगठनों का गठन किया गया है।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

IV. सुझाव

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में मधुरता लाने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार पूर्वाग्रह से मुक्त होकर संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। दलीय एवं स्वहित की बजाय जनहित एवं राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए कार्य योजनाओं का निर्धारण किया जाए।

राजनीतिक विद्वेषता एवं बदले की भावना से कार्य नहीं किया जाना चाहिए तथा सकारात्मक सोच के साथ केन्द्र और राज्यों की सरकारों को कार्य करना चाहिए, तभी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुदृढ़ता और मधुरता लाई जा सकती है। उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ न हो तथा राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से आवश्यक रूप से परामर्श किए जाने का प्रावधान किया जाए।

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जाए तथा इन निर्णयों की पालना में शीघ्रता की जाए। अनुच्छेद- 356 का प्रयोग करते समय संसद में सर्वसम्मति बनाई जाए तथा विपक्ष की सहमति आवश्यक रूप से ली जाए। नदी जल विवाद के सम्यक समाधान हेतु नदियों के जल को राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाए तथा एक राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया जाए। केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपनी कार्य योजनाओं में व्यापक नीति और उदारवादी सोच का परिचय दें।

V. निष्कर्ष

भारतीय संघीय व्यवस्था का स्वरूप व्यावहारिक और लचीला है, जो समय और परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की क्षमता रखता है। संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को इस प्रकार गढ़ा कि विविधताओं से भरे देश में एकता और अखंडता बनी रहे। केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों का संतुलित वितरण किया गया, किन्तु राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहे इसके लिए केन्द्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गईं। आपातकालीन स्थितियों में केन्द्र का प्रभुत्व और सामान्य परिस्थितियों में राज्यों की स्वायत्तता इस व्यवस्था की विशेषता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारतीय संघीय प्रणाली ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है—जैसे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, क्षेत्रीय असंतोष, वित्तीय असमानताएँ और राजनीतिक अस्थिरताएँ। फिर भी, इस व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र को स्थायित्व और मजबूती प्रदान की है। आज सहकारी संघवाद की अवधारणा के अंतर्गत केन्द्र और राज्य विकास, नीति-निर्माण और सामाजिक-आर्थिक प्रगति में एक-दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं। जीएसटी परिषद, नीति आयोग और अन्तर-राज्यीय परिषद जैसे संस्थान इस सहयोगात्मक भावना को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर, प्रतिस्पर्धी संघवाद राज्यों को अपने विकास मॉडल को बेहतर बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार भारतीय संघीय ढांचा एक गतिशील और जीवंत प्रणाली है, जो केन्द्र और राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद की वास्तविक शक्ति इसके संतुलन और लचीलापन में निहित है, जो इसे विश्व की अन्य संघीय व्यवस्थाओं से भिन्न और अनूठा बनाती है।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

संदर्भ सूची

1. व्हीयर, के. सी. फेडरल गवर्नमेन्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इले हाऊस, लन्दन, 1963, पृ. 2
2. शर्मा, डॉ. धर्मराज, 'भारत में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध', संपादकीय, उपकार जगत, 11 फरवरी 2024, अलवर, राजस्थान.
3. कश्यप, सुभाष, केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का नया राग, सहारा समय, नई दिल्ली, 5 मार्च 2005
4. केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग प्रतिवेदन, भाग- प्रथम, सन् 1998, पृ.164
5. शर्मा, बी. एम. व शर्मा पी. डी., भारतीय प्रशासन, क्लासिक पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 2022
6. माहेश्वरी, बी. एल., सेन्टर स्टेट रिलेशन्स इन सेवन्टीज, कलकत्ता, 1973, पृ. 4
7. शर्मा, प्रो. बी. एम., पूर्वोक्त
8. ऑस्टिन, ग्रेनविल, द इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1966, पृ. 186



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com